<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला–बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रकरण.क.–429 / 2012</u> संस्थित दिनांक–25.05.2012

7,00	
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	_
/ <u>atvag</u>	//
मोहपालसिंह पिता अमरसिंह धुर्वे, उम्र 34 वर्ष,	
निवासी–ग्राम सोनगुङ्डा, थाना रूपझर,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	<u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक-20/11/2014 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—19.04.2012 को समय करीब 7:00 बजे ग्राम सुक्कलघाट स्थित मोहन सैयाम के घर के सामने चौकी सोनगुड्डा आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकस्थान पर ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / ए.0569 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर रोड के किनारे पलटा दिया, जिससे बैठे मंगल बैगा की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—19.04.2012 को समय करीब 7:00 बजे ग्राम सुक्कलघाट में मोहन सैयाम के घर के सामने लोकस्थान पर दुर्घटना कारित ट्रेक्टर के चालक द्वारा तेज गित व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये ट्रेक्टर को पलटा दिया, जिससे उक्त ट्रेक्टर में बैठा मृतक मंगल बैगा ट्रेक्टर से गिर गया तथा ट्रेक्टर के नीचे दबने से सिर पर चोट आयी और मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की सूचना गुलचरण द्वारा चौकी सोनगुड्डा में दी गई। पुलिस द्वारा मृतक मंगल बैगा की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेश्न क्रमांक—0/2012 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—0/2012, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम करते हुये थाना रूपझर में असल नम्बर पर अपराध क्रमांक—44/2012, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया गया, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

1. क्या आरोपी ने दिनांक—19.04.2012 को समय करीब 7:00 बजे ग्राम सुक्कलघाट स्थित मोहन सैययाम के घर के सामने चौकी सोनगुड्डा आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत लोकस्थान पर ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.0569 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर रोड के किनारे पलटा दिया, जिससे बैठे मंगल बैगा की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

सूचनाकर्ता गुलचरण (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी को पहचानता है, वह अपने खेत के तरफ गया था, वापस शाम को 5 बजे आ रहा था तो सुक्कलघाट के पास एक ट्रेक्टर पलट गया। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। उसके साथ कोई नहीं था, वह अकेला था। उसे जानकारी नहीं है कि मंगल बैगा और पवन बैगा को क्या हुआ था। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ट्रेक्टर किसकी गलती से पलटा था। उसे चौकी सोनगुड्डा में हस्ताक्षर करने के लिये बुलाये थे। वह हस्ताक्षर करने नहीं गया था। प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। मंगल बैगा सुक्कलघाट में रहता है जो अभी भी जीवित है। उसे आज ध्यान नहीं है कि पुलिस ने उसके समक्ष मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनायी थी या नहीं, किन्तू प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर है। मृत्यु जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी दुर्घटना कारित वाहन को चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी की लापरवाही से वाहन पलट गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि वह ट्राली में बैठा था, इसलिये उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि मृतक मंगल का कहां पर एक्सीडेंट हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने चौकी सोनगुड्डा में बुलाकर उससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस साक्षी ने उसके द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- 6— पवन (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दो—ढाई वर्ष पूर्व के बीच की है। उसे पता लगा था कि सुक्कलघाट में ट्रेक्टर पलट गया था तो वह देखने गया था, जहां पर उसने एक व्यक्ति को ट्रेक्टर से दबा हुआ देखा था, जिसका नाम उसे मालूम नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना समय ट्रेक्टर कौन चला रहा था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव सें इंकार किया है कि आरोपी ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये पलटा दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर में दबे हुये व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन किसके द्वारा चलाया जा रहा था, उसे मालूम न होना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध हेतु कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।
- 7— पवन तेकाम (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना दो—ढाई वर्ष पूर्व की है। उसे पता लगा था कि सुक्कलघाट में ट्रेक्टर पलट गया था तो वह देखने गया था। इसके अलावा घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पलटा दिया था। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना प्रकट किया है कि ट्रेक्टर पलटने से उसमें बैठे मृतक मंगल बैगा की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 8— मोहन सैयाम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—5 पर उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना ग्रस्त ट्रेक्टर उसके घर के सामने पड़ा हुआ था, इसिलये वहां गया था। उसे याद नहीं है कि पुलिस ने उससे कौन सी कार्यवाही पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसने मौके पर देखा था कि ट्रेक्टर हरे रंग का दुर्घटना ग्रस्त पड़ा हुआ था और वहां पर मृतक मंगल की लाश का पंचनामा तैयार किया था। पंचनामा में उपस्थिति की सूचना प्रदर्श पी—3 है

तथा लाश पंचनामा प्रदर्श पी—4 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था तथा पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस साक्षी ने मृतक के शव के पंचनामा उसके सामने तैयार करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

10— मृतक मंगल के शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर एन.एस.उईके (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—20.04.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक राहुल गौतम क्रमांक—107 के द्वारा मृतक मंगल बैगा के शव को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने शव का परीक्षण किया, जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव और गंभीर तथा विस्तृत चोट लगने के कारण सिंककोपी (शाक) से हुआ था। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुमंजिला ईमारत से गिरता है तो उक्त प्रकार की चोट आना संभव है। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में मृतक मंगल बैगा की घटना के समय दुर्घटना के कारण चोट आने के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है।

11— मुकेश कुमार मेरावी (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे 10 वर्षों से ट्रेक्टर चलाने का अनुभव है। उसके द्वारा ट्रेक्टर कमांक—एम.पी. 50 / ए.0569 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने ट्रेक्टर का सायलेनसर टूटा हुआ, स्टेरिंग का राड़ बेंड, हेडलाईट खराब, सामने का टायर पंचर और उपर का बोनट पिचका हुआ पाया था। उक्त मैकेनिकल परीक्षण प्रदर्श पी—10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन के मैकेनिकल परीक्षण करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

11— अनुसंधानकर्ता मदन मोहन मालवीय (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—20.04.2012 को चौकी सोनगुड्डा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता गुलचरण की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—0/12, धारा—304(ए) भा.द.वि. का प्रदर्श पी—1 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को उसके द्वारा उक्त सूचना पर मर्ग इंटीमेशन—0/2012 प्रदर्श डी—1 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा गया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल पहुंचकर पंचायतनामा प्रदर्श पी—3 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—4 की कार्यवाही पंचो के समक्ष की गई थी, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त

दिनांक को सूचनाकर्ता गुलचरण की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मृतक मंगल बैगा के शव को पोस्टमार्डम हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा गया था तथा सूचनाकर्ता गुलचरण, साक्षी पवन के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष एक ट्रेक्टर कमांक—एम.पी. 50/ए.0569 क्षतिग्रस्त हालत में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—5 के अनुसार जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में शेष विवेचना प्रधान आरक्षक अरविंद घोरमारे के द्वारा की गई।

- 12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख नहीं की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्रार्थी गुलचरण के बताये अनुसार रिपोर्ट लेख नहीं की गई और सम्पूर्ण कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार कर ली गई। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी द्वारा मामले में की गई जांच एवं अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने समर्थनकारी साक्षी के रूप में अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।
- 13— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एकमात्र महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षी गुलचरण (अ.सा.1) ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित ट्रैक्टर को चलाये जाने के कथन किये है, किन्तु उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती न होना तथा दुर्घटना की उसे जानकारी न होने के कथन भी किया है। उक्त महत्वपूर्ण साक्षी ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने एवं उक्त कारण से मृतक मंगल बैगा की मृत्यु होने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये है, बल्कि शेष साक्षीगण ने घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन को आरोपी द्वारा चलाये जाने के भी कथन नहीं किये गये है।
- 14— प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। मामले की प्रकृति को देखते हुये अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सीय साक्षीगण की समर्थनकारी साक्ष्य से प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मामला प्रमाणित नहीं होता है। मात्र आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित को घटना के समय चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित मान लिया जाये तब भी साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय उक्त बाहन को आरोपी के द्वारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप मृतक मंगल बैगा की मृत्यू हुई।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / ए.0569 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटा दिया, जिससे उसमें बैठे मंगल बैगा की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए.0599 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार मोहपाल धुर्वे पिता अमरिसंह धुर्वे निवासी सोनगुड्डा तहसील बैहर को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट